[2020] 3 एस. सी. आर. 1196

पैट्राम

वी.

ग्राम पंचायत कठवार और ओआरएस।

(2009 की सिविल अपील सं. 6319)

04 मार्च, 2020

[एल. नागेश्वर राव और दीपाक गुप्ता, जेजे।]

पंजाब ग्राम सामान्य भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961

एस के खंड (5) का खंड (वी)। 2 (छ)-आयोजितः एस में 'शमिलात देह' की परिभाषा। 2 (छ) अधिनियम के खंड (3) में अबादी भूमि को छोड़कर 'शमिलात देह' या चारंद के रूप में वर्णित सभी भूमि शामिल हैं। 2 (छ) 'शमिलात' शब्द के बाद एक अल्पविराम है जबकि ऐसा अल्पविराम खंड (5) के उपखंड (v) में नहीं है। 2 (छ)-ऐसा लगता है कि अल्पविराम का जानबूझकर उपयोग न करने के बजाय एक त्रुटि है। क्योंकि खंड (3) में प्रावधान है कि 'शमिलात', 'तरफ', 'पट्टी', 'पन्ना' और 'तोला' के रूप में वर्णित भूमि को 'शमिलात देह' भूमि के रूप में तभी माना जाएगा जब उनका उपयोग गाँव के सामान्य उद्देश्य के लिए किया जाए।

- इसका स्पष्ट तात्पर्य यह है कि यदि 'शमिलात', 'तरफ', 'पट्टी', 'पन्ना' और 'तोला' के रूप में वर्णित भूमि का उपयोग सामान्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा रहा था, तो यह 'शमिलात देह' के अर्थ में नहीं आएगा।

खंड (v) परिभाषा का नकारात्मक भाग है जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि कुछ भूमि को 'शमिलात देह' के रूप में नहीं माना जाएगा और ये वे भूमि हैं जिन्हें राजस्व रिकॉर्ड में 'शमिलात', 'तरफ', 'पट्टी', 'पन्ना' और 'तोला' के रूप में वर्णित किया गया है और जिसका उपयोग उसके अनुसार नहीं किया गया है।

गाँव के समुदाय या उसके एक हिस्से के लाभ के लिए या गाँव के सामान्य उद्देश्य के लिए राजस्व रिकॉर्ड में-'शमिलात' शब्द के बाद अल्पविराम की अनुपस्थिति का कोई बड़ा महत्व नहीं है।

वास्तव में, ऐसा प्रतीत होता है कि अल्पविराम को गलती से छोड़ दिया गया है

और वास्तव में एक अल्पविराम को 'शमिलात' के बाद और 'तरफ' से पहले खंड के उत्तरार्ध में भी पढ़ा जाना चाहिए-शब्द 'शमिलात'

सभी चार 'तरफ', 'पट्टी', 'पन्ना' और 'तोला' के साथ पढ़ा जाना चाहिए-एक भूमि 'शमिलात देह' तभी हो सकती है जब वह 'शमिलात तरफ', 'शमिलात पट्टी', 'शमिलात पन्ना' या 'शमिलात तोला' हो-यदि इन चार शब्दों में से किसी में भी शमिलात शब्द गायब है, तो भूमि को लोगों के समूह से संबंधित नहीं कहा जा सकता है और यह कभी भी 'शमिलात देह' भूमि नहीं बन सकती है।

1196 पैट्राम वी. ग्राम पंचायत कठवार और ओआरएस।

पंजाब ग्राम सामान्य भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961

-

एस। 2 (छ) क्या अपीलार्थी के कब्जे वाली भूमि 'शमिलात देह' भूमि है और गाँव के आम निकाय में निहित है-आयोजितः राजस्व अभिलेखों में, भूमि को 'शामलात पट्टी ढेरा और खुबी' के रूप में दिखाया गया था-'ढेरा और खुबी' अपीलार्थी के पूर्वज थे।

कब्जा मालिकों/स्व-किसानों के रूप में दिखाया गया है और 1987-1988 में पंचायत देह के पक्ष में एक प्रविष्टि की गई थी-भूमि को हमेशा 'शामलात पट्टी ढेरा और खुबी' दिखाया गया था और अपीलार्थी या उसके पूर्वजों की खेती में-इसके अलावा, भूमि का उपयोग कभी भी पूरे ग्राम समुदाय के लाभ के लिए या समुदाय के एक हिस्से के लिए भी नहीं दिखाया गया था-भूमि को 'शामिलात देह' के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है और इसलिए, ग्राम स्वामित्व निकाय में निहित नहीं होगा-अपीलार्थी का नाम प्रविष्टि 'शामलात पट्टी' के साथ स्वामित्व के स्तंभ में दर्ज किया जाएगा।

पंजाब ग्राम सामान्य भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961

' शमिलात देह 'भूमि-जिसका अर्थ-आयोजितः शब्द 'शमिलात'

मूल रूप से इसका अर्थ है 'संयुक्त कब्जे में रखी गई और अविभाजित भूमि जो एक गाँव का हिस्सा हैं'-जब इन भूमि को आम तौर पर गाँव के स्वामित्व वाले निकाय द्वारा धारण किया जाता है, तो उन्हें इस प्रकार वर्णित किया जाता है -

' शमिलात देह 'लैंड।

पंजाब ग्राम सामान्य भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961

' तराफ ',' पट्टी ',' पन्ना 'और' तोला '-जिसका अर्थ है-आयोजितः' तराफ ', ' पट्टी ',' पन्ना 'और' तोला 'अलग-अलग शब्द हैं लेकिन एक सामान्य शब्द है।

उनके माध्यम से चल रहा तनाव या समानता-ये विवरण कबीले, जाति, संप्रदाय, क्षेत्र आदि के आधार पर ग्रामीणों के एक समूह की भूमि के हैं-ब्रिटिश भारत में, गाँव को गाँव में रहने वाले व्यक्तियों की जाति, धर्म, व्यवसाय आदि के आधार पर विभिन्न पट्टियों/वर्गों में विभाजित किया गया था-पट्टी को अलग-अलग भूमि विभाजन के रूप में वर्णित किया गया है।

गाँव में हिस्से या पट्टियाँ-इन स्थानों को पट्टियों के रूप में जाना जाता है-इसलिए, पट्टी मूल रूप से गाँव का एक छोटा सा विभाजन है-'तरफ', 'पन्ना' और 'तोला' शब्द अलग-अलग हो सकते हैं लेकिन वे पट्टी के समान हैं और अलग-अलग रहने वाले ग्रामीणों के समुदाय से भी संबंधित हैं।

इसलिए, उनका लगभग एक ही अर्थ है

यह स्पष्ट है कि आम तौर पर शमीलत से एक पट्टी बनाई जा सकती है।

भूमि केवल तभी प्राप्त की जा सकती है जब लोगों का एक समूह भूमि के कुछ हिस्से का आनंद बड़ी साझा हिस्सेदारी यानी पट्टी में से ले सके।

20] 3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. 'शमिलात' शब्द का मूल अर्थ है 'जोड़ों में आयोजित'।

कब्जा और अविभाजित भूमि जो गाँव का अभिन्न अंग है। जब ये भूमि आम तौर पर गाँव के स्वामित्व वाले निकाय के पास होती है, तो उन्हें 'शमिलात देह' भूमि के रूप में वर्णित किया जाता है।

‘ तराफ ',' पट्टी ',' पन्ना 'और' तोला 'अलग-अलग शब्द हैं, लेकिन उनमें एक सामान्य तनाव या समानता है। ये

वर्णन कबीले, जाति, संप्रदाय, क्षेत्र आदि के आधार पर ग्रामीणों के एक समूह की भूमि का है। ब्रिटिश भारत में, गाँव को जाति, धर्म के आधार पर विभिन्न पट्टियों/वर्गों में विभाजित किया गया था।

गाँव में रहने वाले व्यक्तियों का व्यवसाय आदि। पट्टी को भूमि के अलग-अलग भागों या पट्टियों में विभाजन के रूप में वर्णित किया गया है।

गाँव। इन स्थानों को पट्टियों के नाम से जाना जाता है। पट्टी मूल रूप से है, इसलिए, गाँव का एक छोटा सा विभाजन। 'तराफ', 'पन्ना' और 'तोला' शब्द अलग-अलग हो सकते हैं लेकिन वे पट्टी के समान हैं और सौदा भी करते हैं।

2 (जी)। ऐसा लगता है कि अल्पविराम का जानबूझकर उपयोग न करने के बजाय एक त्रुटि है। ऐसा इसलिए है क्योंकि खंड (3) उस भूमि का प्रावधान करता है जिसे 'शमिलात', 'तरफ', 'पैटीज' 'पन्ना' के रूप में वर्णित किया गया है और ‘ थोलों को 'शमिलात देह' भूमि के रूप में तभी माना जाना चाहिए जब उनका उपयोग गाँव के सामान्य उद्देश्य के लिए किया जाए। इसका स्पष्ट अर्थ है कि यदि भूमि को 'शमिलात', 'तरफ', 'पट्टी', 'पन्ना' के रूप में वर्णित किया गया है।

और 'तोला' का उपयोग सामान्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा रहा था, यह 'शमिलात देह' के अर्थ में नहीं आता था। [पैरा 10] [1204-सी. एफ.] पैट्राम बनाम।

ग्राम पंचायत कठवार और ओआरएस।

3. खंड (v) परिभाषा का नकारात्मक भाग है जिसमें कहा गया है कि कुछ भूमि को 'शमिलात देह' के रूप में नहीं माना जाएगा।

और ये वे भूमि हैं जिन्हें राजस्व अभिलेख में 'शमिलात', 'तरफ', 'पट्टी', 'पन्ना' और 'तोला' के रूप में वर्णित किया गया है और जिनका उपयोग राजस्व अभिलेख के अनुसार गाँव के लाभ के लिए नहीं किया गया है।

समुदाय या उसका कोई भाग या गाँव के सामान्य उद्देश्य के लिए। 'शमिलात' शब्द के बाद अल्पविराम की अनुपस्थिति का कोई बड़ा महत्व नहीं है। वास्तव में, ऐसा प्रतीत होता है कि अल्पविराम को गलती से छोड़ दिया गया है। विभिन्न प्रकाशनों में, एक है

अल्पविराम को खंड के उत्तरार्ध में भी 'शमिलात' के बाद और 'तरफ' से पहले पढ़ा जाना चाहिए। 'शमिलात' शब्द को चारों के साथ पढ़ा जाना चाहिए-'तरफ', 'पट्टी', 'पन्ना' और 'तोला'। एक भूमि 'शमिलात देह' तभी हो सकती है जब वह 'शमिलात तरफ', 'शमिलात पट्टी', 'शमिलात पन्ना' या 'शमिलात तोला' हो। यदि शमिलात शब्द गायब है इन चार शब्दों में से किसी से भी, भूमि को लोगों के समूह से संबंधित नहीं कहा जा सकता है और यह कभी भी 'शमिलात' नहीं बन सकती है।

देह 'लैंड। [पैरा 11] [1204-जी-एच; 1205-ए-बी]

4. 'शमिलात देह' को परिभाषित करने वाले खंड का उद्देश्य यह है कि 'शमिलात', 'तरफ', 'पट्टी', 'पन्ना' और 'तोला' के रूप में वर्णित भूमि का उपयोग ग्राम समुदाय के लाभ के लिए नहीं किया जाएगा।

इसे 'शमिलात देह' के रूप में नहीं माना जाए। धारा 2 (जी) का खंड (3) समान है। उद्देश्य यह है कि वह भूमि जिसमें वर्णित है

राजस्व अभिलेख 'शमिलात', 'तरफ', 'पट्टी', 'पन्ना' और 'तोला' के रूप में दर्ज किया जाता है और इसका उपयोग पूरे ग्राम समुदाय या एक हिस्से के लाभ के लिए किया जाता है।

वे केवल गाँव के स्वामित्व वाले निकाय में निहित होंगे। पट्टी के अर्थ की पृष्ठभूमि में 'उसका हिस्सा' शब्दों का उपयोग एक विशिष्ट उद्देश्य के साथ किया गया है। भले ही जमीन हो

उस 'तरफ', 'पट्टी', 'पन्ना' और 'तोला' के निवासियों के सामान्य उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है, यह 'शमिलात देह' होगा, भले ही इसका उपयोग पूरे गांव के लाभ के लिए न किया जाए। लेकिन अगर जमीन

इसका उपयोग पूरे गाँव के लाभ के लिए या गाँव समुदाय के हिस्से के लिए नहीं किया जाता है जिसमें पट्टी शामिल होती है तो धारा 2 (छ) के अर्थ में भूमि को 'शमिलात देह' भूमि नहीं कहा जा सकता है। उत्पादित राजस्व अभिलेखों से, भूमि को 'शामलात पट्टी ढेरा और खुबी' के रूप में दिखाया गया है। ढेरा और खुबी 'अपीलार्थी (ओं) के पूर्वज हैं। कब्जा [2020] 3 एस. सी. आर. है।

मालिकों/स्व-किसानों के रूप में दिखाया गया था और 1987-1988 में पंचायत देह के पक्ष में एक प्रविष्टि की गई थी। भूमि को हमेशा 'शामलात पट्टी ढेरा और खुबी' और अपीलार्थी (ओं) या उनके पूर्वजों की खेती में दिखाया गया था। इसके अलावा, भूमि का उपयोग कभी भी पूरे ग्राम समुदाय के लाभ के लिए या समुदाय के एक हिस्से के लिए भी नहीं किया गया था। भूमि को 'शमिलात देह' के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है और इसलिए, यह ग्राम स्वामित्व निकाय में निहित नहीं होगी। अपीलार्थी (ओं) का नाम स्वामित्व के कॉलम में 'शामलात पट्टी' प्रविष्टि के साथ दर्ज किया जाना चाहिए। [पारस 12-14] [1205-C-H; 1206-A]

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 6319

2007 के सी. डब्ल्यू. पी. सं. 16757 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांकित <आई. डी. 1 के निर्णय और आदेश से। मनोज स्वरूप, वरिष्ठ अधिवक्ता। , ऋषि मल्होत्रा, नील मणि पंत, उत्कर्ष, सुश्री विदिशा स्वरूप, प्रेम मल्होत्रा, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

अनुराग टंडन, सुश्री क्षितिज राव, संजय जैन, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

दीपाक गुप्ता, जे।

1. इस मामले में शामिल संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या अपीलार्थी (ओं) के कब्जे वाली भूमि पंजाब ग्राम सामान्य भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के अर्थ के भीतर 'शमिलात देह' भूमि है और ग्राम सामान्य निकाय में निहित है। विचाराधीन भूमि हरियाणा में स्थित है और इसलिए, इस निर्णय के उद्देश्य से हम हरियाणा राज्य में संशोधित और लागू अधिनियम का उल्लेख करेंगे।

2. अपीलार्थी (ओं) का तर्क है कि विवादित भूमि हालांकि 'शमिला भूमि' है, वास्तव में एक सदी से अधिक समय से अपीलार्थी (ओं) और उसके पूर्वजों के कब्जे में एक पट्टी है और इसका उपयोग गाँव के सामान्य उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा रहा है और इसलिए, यह इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं आती है।

'शमिलात देह' भूमि की परिभाषा। 3. भारत में, भूमि को गाँव में एकता का वास्तविक आधार कहा जाता है, जो गाँव के निवासियों के बीच अंतिम बंधन की आपूर्ति करता है।

सामूहिक रूप से ग्रामीण समुदाय के रूप में जाना जाता है। जब बसने वाले PATRAM v गए।

ग्राम पंचायत कठवार और ओआरएस। [दीपाक गुप्ता, जे।]

नए क्षेत्र और जंगलों को साफ किया गया या बंजर भूमि को खेती योग्य भूमि में बदल दिया गया, भूमि के कुछ हिस्सों को आम उपयोग के लिए छोड़ दिया गया जैसे कि चराने के लिए उपयोग की जाने वाली चरंद भूमि, कुओं के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि, जलमार्ग, आम उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि और गाँव के आवासीय क्षेत्र के विस्तार के लिए भी जिसे आम तौर पर अबादी के रूप में जाना जाता है। ये भूमि जो सामान्य उद्देश्यों के लिए आरक्षित थीं, ईर्ष्या से संरक्षित थीं और मूल रूप से मूल बसने वालों और उन लोगों की सामान्य संपत्ति थी जिन्होंने कचरे को साफ करने और भूमि को खेती के तहत लाने के बाद उनकी मदद की थी। पंजाब के प्रथागत कानून पर बेहतरीन संधियों में से एक, सर डब्ल्यू. एच. रैटिगन की 'ए डाइजेस्ट ऑन सिविल लॉ फॉर पंजाब' के अध्याय X, जिसका शीर्षक 'द विलेज कॉमन लैंड इंट्रोडक्शन' है, से निम्नलिखित टिप्पणियां प्रासंगिक हैं:

" ..... इस तरह से आरक्षित भूमि को सामान्य के रूप में ईर्ष्या से संरक्षित किया जाता है

गाँव की स्थापना करने वाले बसने वालों के मूल निकाय की संपत्ति

या उनके वंशजों में से, और कभी-कभी वे भी जो सहायता करते थे

निवासियों ने कचरे को साफ करने और इसे खेती के तहत लाने में

खेती वाले क्षेत्र, ऐसे कुछ भूखंड आमतौर पर गाँव के रूप में आरक्षित होते हैं आम, और पट्टीदारी गाँव में। निश्चित रूप से मिलना असामान्य नहीं है।

शमिलात-देह "।

4. समय के साथ, खेती योग्य क्षेत्रों को अलग कर दिया गया।

अलग-अलग मालिकों के बीच और उस समय व्यापक रूप से प्रचलित जाति व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, गाँव या अलग-अलग बस्तियों में अलग-अलग क्षेत्रों को न केवल जाति या धर्म के आधार पर बल्कि कभी-कभी व्यवसायों के आधार पर भी अलग-अलग समुदायों के लिए प्रदान किया गया था। उदाहरण के लिए बुनकरों को एक क्षेत्र में, कुम्हारों को दूसरे क्षेत्र आदि में रखा जाएगा। ऐसे प्रत्येक विभाजन को पट्टी कहा जाता था।

5. यह हमें धारा 2 (जी) में शामिलत देह की परिभाषा पर लाता है।

अधिनियम से। प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

" 2. परिभाषाएँ। - इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा न हो

आवश्यकता है,

XXX

XXX

X

XX

(छ) "शमिलत्देह" में शामिल हैं [2020] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(1) राजस्व अभिलेखों में शमिलात देह के रूप में वर्णित भूमि

या आबाद देह को छोड़कर चारंद;

(2) शमिलात टिक्का;

(3) राजस्व अभिलेखों में शमिलात के रूप में वर्णित भूमि,

तराफ, पैटी, पन्ना और थोला और उनके अनुसार उपयोग किया जाता है

गाँव के लाभ के लिए राजस्व अभिलेखों को

समुदाय या उसका कोई भाग या सामान्य उद्देश्यों के लिए

गाँव का;

(4) XXXX

(4 अ) XXXX

(5) XXXX

लेकिन इसमें भूमि शामिल नहीं है जो

(i) नदी के कारण शमिलात देह बन जाता है या बन जाता है।

कार्रवाई या गाँवों में शमिलात के रूप में आरक्षित किया गया है

शमिलात देह को छोड़कर नदी कार्रवाई के अधीन

राजस्व अभिलेखों में चरागाह, तालाब या खेल का मैदान;

XXX

XXX

XXX

(v) राजस्व अभिलेखों में शमिलात तरफ के रूप में वर्णित है,

पट्टियाँ, पन्ना और तोला और उनके अनुसार उपयोग नहीं किया जाता है

समुदाय या उसका कोई भाग या सामान्य उद्देश्यों के लिए

गाँव का;

XXX

XXX

XXX

6. अपीलार्थी (ओं) का मामला यह है कि वह एक शताब्दी से अधिक समय से

और उनके पूर्वजों के पास एक पट्टी थी जिसका उपयोग कभी भी गाँव के सामान्य उद्देश्य के लिए नहीं किया गया था और उनके द्वारा इसकी खेती की गई है। इस भूमि पर

इसका उपयोग कभी भी सामान्य ग्राम उद्देश्य के लिए नहीं किया गया और अधिनियम की धारा 2 (जी) के संदर्भ में इसे 'शमिलात देह' की परिभाषा में शामिल नहीं किया जा सकता है। भूमि को अपीलार्थी (ओं) के कब्जे में दिखाया जाना जारी है या

वर्ष 1915-1916 से आज तक जामबंदियों में उनके पूर्वज। स्वामित्व के कॉलम में पहले की प्रविष्टियों, जिन्हें 'शामलात पट्टी ढेरा और खूबी' के रूप में पढ़ा जाता था, को 'पंचायत देह' प्रविष्टि से बदल दिया गया था। पीड़ित, अपीलार्थी (ओं) ने कलेक्टर, भिवानी से संपर्क किया और स्वामित्व के कॉलम में प्रविष्टि के परिवर्तन को चुनौती दी। अपीलार्थी भिवानी के कलेक्टर के साथ-साथ हिसार डिवीजन के आयुक्त के सामने हार गए।

पैट्राम वी. ग्राम पंचायत कठवार और ओआरएस। [दीपाक गुप्ता, जे।]

इसके बाद उन्होंने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की, जिसे निम्नलिखित तर्कों के साथ खारिज कर दिया गयाः

" के लिए वकील द्वारा उठाए गए पहले तर्क की जांच करते हुए

याचिकाकर्ता, जैसा कि पूर्वगामी पैराग्राफ में देखा गया है, अधिनियम की धारा 2 (जी) के खंड (3) का उल्लेख करना आवश्यक है।

इसके ऊपर, जो भूमि की प्रकृति का वर्णन करते हुए स्पष्ट रूप से "शामलात", "तराफ", "पट्टी", "पन्ना" और "थोल" को अलग और विशिष्ट मानता है। जबकि, अधिनियम की धारा 2 (जी) के तहत परंतुक के खंड (वी) के तहत अपवाद, "शामलात तरफ", "पट्टियाँ", "पन्ना" और "तोला" को अपवाद के रूप में नोटिस करता है। वर्ष 1907-08 के राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार, इसके तहत भूमि संदर्भ को "शामलात पट्टी" के रूप में वर्णित किया गया है। इसलिए, यह "शामलात तरफ", "पट्टियाँ", "पन्ना" और "तोला" शब्द के अंतर्गत नहीं आता है जैसा कि अपवाद में शामिल किया गया है क्योंकि

" विद्वान वकील द्वारा जिस खंड पर भरोसा किया गया है, उसके तहत शामलात पट्टी को बाहर नहीं किया गया है। इसलिए, हमारे लिए यह स्वीकार करना संभव नहीं है कि संदर्भ के तहत भूमि परंतुक के खंड (v) के भीतर आती है।

अधिनियम की धारा 2 (जी) के तहत।

7. उपरोक्त निर्णय इस आधार पर दिया गया था कि जहां धारा 2 (जी) के खंड (3) में 'शमिलात' शब्द के बाद अल्पविराम है, वहीं धारा 2 (जी) के खंड (5) के उपखंड (वी) में ऐसा कोई अल्पविराम नहीं है। हमने पक्षों से अनुरोध किया था कि वे हमें मूल राजपत्र अधिसूचना प्रदान करें

और जैसा कि ऊपर हमारे द्वारा उद्धृत परिभाषा राजपत्र अधिसूचना के अनुरूप है।

8. विचार के लिए मुद्दा यह है कि क्या 'शमिलात' शब्द को तराफ, पट्टी, पन्ना और थोला के साथ पढ़ा जाना चाहिए या केवल तराफ के साथ पढ़ा जाना चाहिए। धारा 2 (छ) के खंड (5) का उपखंड (v)। हमें यह समझना चाहिए कि 'तरफ', 'पट्टी', 'पन्ना' और 'तोला' शब्दों का क्या अर्थ है। इस अंतर को समझने के लिए यह भी समझना चाहिए कि 'शमिलात देह' भूमि क्या है।

'शमिलात' शब्द का मूल अर्थ है 'संयुक्त अधिकार में रखा गया और

अविभाजित भूमि जो गाँव का अभिन्न अंग है। जब ये भूमि आम तौर पर गाँव के स्वामित्व वाले निकाय के पास होती है, तो उन्हें 'शमिलात देह' भूमि के रूप में वर्णित किया जाता है।

9. ' तरफ ',' पट्टी ',' पन्ना 'और' तोला 'अलग-अलग शब्द हैं लेकिन

उनके माध्यम से एक सामान्य तनाव या समानता चल रही है। ये विवरण कबीले, जाति, संप्रदाय, क्षेत्र आदि के आधार पर ग्रामीणों के एक समूह की भूमि के हैं। ब्रिटिश भारत में, गाँव को विभिन्न पट्टियों में विभाजित किया गया था।

(2020) में रहने वाले व्यक्तियों की जाति, धर्म, व्यवसाय आदि पर आधारित धाराएँ 3 एस. सी. आर.

गाँव में। पट्टी को गाँव में अलग-अलग हिस्सों या पट्टियों में भूमि के विभाजन के रूप में वर्णित किया गया है। इन स्थानों को पट्टियों के नाम से जाना जाता है। इसके बाद

अलग होते हैं लेकिन पट्टी के समान होते हैं और अलग रहने वाले ग्रामीणों के समुदाय से भी निपटते हैं। इसलिए, उनका लगभग एक ही अर्थ है। 10. यदि हम स्वीकार करते हैं कि 'तरफ', 'पट्टी', 'पन्ना' और 'तोला' में वस्तुतः कोई अंतर नहीं है तो व्याख्या का कार्य बहुत आसान हो जाता है। यह भी स्पष्ट है कि एक पट्टी आम तौर पर शमिलात भूमि से तभी बनाई जा सकती है जब लोगों का एक समूह आनंद ले।

भूमि का कुछ हिस्सा बड़ी सामान्य हिस्सेदारी में से एक पट्टी है। अधिनियम की धारा 2 (जी) में 'शमिलात देह' की परिभाषा में अबादी भूमि को छोड़कर 'शमिलात देह' या चारंद के रूप में वर्णित सभी भूमि शामिल हैं।

धारा 2 (छ) के खंड (3) में 'शमिलात' शब्द के बाद एक अल्पविराम है जबकि ऐसा अल्पविराम धारा 2 (छ) के खंड (5) के उपखंड (v) में अनुपस्थित है। हमारा विचार है कि अल्पविराम का जानबूझकर उपयोग न करने के बजाय एक त्रुटि प्रतीत होती है। हमारा यह विचार है क्योंकि खंड (3) में प्रावधान है कि 'शमिलात', 'तराफ', 'पट्टी', 'पन्ना' और 'तोला' के रूप में वर्णित भूमि को 'शमिलात देह' भूमि के रूप में तभी माना जाना चाहिए जब उनका उपयोग गाँव के सामान्य उद्देश्य के लिए किया जाए। इसका स्पष्ट रूप से तात्पर्य है कि यदि भूमि को 'शमिलात', 'तरफ', 'पट्टी', 'पन्ना' के रूप में वर्णित किया गया है और

' 'तोला' का उपयोग सामान्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा रहा था, यह 'शमिलत्देह' के अर्थ में नहीं आता था। 11. खंड (v) परिभाषा का नकारात्मक भाग है जो यह प्रावधान करता है कि कुछ भूमि को 'शमिलत्देह' के रूप में नहीं माना जाएगा और ये वे भूमि हैं जिन्हें 'शमिलत्', 'तरफ', 'पट्टी' के रूप में वर्णित किया गया है।

' राजस्व अभिलेख में पन्ना और तोला का उपयोग राजस्व अभिलेख के अनुसार ग्राम समुदाय या उसके किसी भाग के लाभ के लिए या गाँव के सामान्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता है। हमारे विचार में, 'शमिलात' शब्द के बाद अल्पविराम की अनुपस्थिति का कोई बड़ा महत्व नहीं है। वास्तव में, ऐसा प्रतीत होता है कि अल्पविराम को गलती से छोड़ दिया गया है। हम यह भी नोट कर सकते हैं कि हम पाते हैं कि विभिन्न प्रकाशनों में, एक अल्पविराम है

'शमिलात' और 'तरफ' शब्दों के बीच। हालाँकि, कोई अल्पविराम PATRAM v नहीं है।

ग्राम पंचायत कठवार और ओआरएस। [दीपाक गुप्ता, जे।]

राजपत्र अधिसूचना में आधिकारिक प्रकाशन में। ऊपर हमने जो माना है, उसे ध्यान में रखते हुए, हमें ऐसा लगता है कि अल्पविराम की अनुपस्थिति एक गलती है और वास्तव में हमारे अनुसार, अल्पविराम को 'शमिलात' के बाद और 'तरफ' से पहले खंड के उत्तरार्ध में भी पढ़ा जाना चाहिए। 'शमिलात' शब्द को चारों के साथ पढ़ना पड़ता है-'तरफ', 'पट्टी', 'पन्ना'। और 'तोला'। एक भूमि 'शमिलात देह' तभी हो सकती है जब वह 'शमिलात तरफ', 'शमिलात पट्टी', 'शमिलात पन्ना' या 'शमिलात तोला' हो। यदि इन चार शब्दों में से किसी में भी शमिलात शब्द गायब है, तो भूमि को लोगों के समूह से संबंधित नहीं कहा जा सकता है और यह कभी भी 'शमिलात देह' भूमि नहीं बन सकती है।

12. 'शमिलात देह' को परिभाषित करने वाले खंड का उद्देश्य है

कि 'शमिलात', 'तरफ', 'पट्टी', 'पन्ना' और 'तोला' के रूप में वर्णित भूमि जिसका उपयोग ग्राम समुदाय के लाभ के लिए नहीं किया जाता है, उसे इस रूप में नहीं माना जाएगा ' शमिलात देह '। धारा 2 (जी) का खंड (3) समान है। उद्देश्य यह है कि वह भूमि जिसे राजस्व अभिलेखों में 'शमिलात', 'तरफ' के रूप में वर्णित किया गया है,

' पट्टी ',' पन्ना 'और' तोला 'और जिसका उपयोग पूरे ग्राम समुदाय या उसके एक हिस्से के लाभ के लिए किया जाता था, केवल गाँव के स्वामित्व में निहित होता था।

शरीर। 'इसका हिस्सा' शब्दों का उपयोग एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया गया है।

पट्टी के अर्थ की पृष्ठभूमि में जिस पर हमने ऊपर विस्तार से चर्चा की है। भले ही भूमि का उपयोग सामान्य उद्देश्य के लिए किया जा रहा हो

उस 'तरफ', 'पट्टी', 'पन्ना' और 'तोला' के निवासी, यह 'शमिलत्देह' होंगे, भले ही इसका उपयोग पूरे गांव के लाभ के लिए न किया जाए। हालाँकि, यदि भूमि का उपयोग पूरे गाँव के लाभ के लिए या ग्राम समुदाय के हिस्से के लिए नहीं किया जाता है, जिसमें पट्टी शामिल है, तो हमारी राय में, धारा 2 (जी) के अर्थ के भीतर भूमि को 'शमिलात देह' भूमि नहीं कहा जा सकता है।

13. उत्पादित राजस्व अभिलेखों से हम पाते हैं कि भूमि को 'शामलात पट्टी ढेरा और खुबी' के रूप में दिखाया गया है। ढेरा और खूबी '

वे अपीलार्थी (ओं) के पूर्वज हैं। कब्जा मालिकों/स्व-किसानों के रूप में दिखाया गया है और 1987-1988 में पंचायत देह के पक्ष में एक प्रविष्टि की गई थी। भूमि को हमेशा 'शामलात पट्टी ढेरा और खुबी' और अपीलार्थी (ओं) की खेती में दिखाया गया था।

समुदाय। 14. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमें यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि भूमि को 'शमिलात देह' के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है और इसलिए, ऐसा नहीं होगा।

गाँव के स्वामित्व निकाय में निहित। तदनुसार, हम अपील 1206 को स्वीकार करते हैं।

ए और उच्च न्यायालय के दिनांकित 03.07.2008 के फैसले और नीचे दिए गए सभी अधिकारियों के आदेशों को दरकिनार कर दें। अपीलार्थी (ओं) का नाम स्वामित्व के कॉलम में 'शामलात पट्टी' प्रविष्टि के साथ दर्ज किया जाए।

15. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाएगा। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

देविका गुजराल